रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2676] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940
No. 2676] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

## नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

**का.आ. 3449(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 5 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920(अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किए गए थे जिनके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई और जबकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-5 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणपत्र देने की शर्त पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 मई, 2018 के का.आ. 2183 (अ) के तहत यह अधिसूचित किया गया कि उक्त आदेश 30 जून, 2018 से प्रभावी होगा।

2. और जबकि उद्योग आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगते हैं और जबकि आदेश के उचित कार्यान्वयन के लिए शामिल मुद्दों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। एतद्वारा यह अधिसूचित किया गया कि दिनांक 30.05.2018 के का.आ. सं. 2183 के खण्ड-2 में अधिसूचित स्वतः प्रमाणन छूट की तिथि को वहां उल्लिखित 30 जून, 2018 की तिथि से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाता है।

3. इसके अलावा मॉड्यूल निर्माताओं के मामले में जिनकी वार्षिक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट से कम है, को बीआईएस प्रमाणीकरण के लिए 04.09.2020 तक दो वर्ष तक की छूट दी गई है बशर्ते उनके पास इस अवधि के लिए वैध आईईसी प्रमाणपत्र (या तो 2005 या 2016) हो, या अवधि जिसके लिए मुहैया आईईसी प्रमाणपत्र मान्य है, जो भी पहले होगा और आगे आईईसी प्रमाणपत्र 16.04.2018 से पहले प्राप्त किया गया हो।

4. इसके अलावा वचनबद्धता/वारंटी के हिस्से के रूप में पहले स्थापित परियोजनाओं में समान रूप से प्रतिस्थापन करने के लिए आवश्यक उत्पादों हेतु और यदि इस तरह के उत्पादों की देश में नई परियोजनाओं के लिए विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति नहीं की जा रही है तो वहाँ बीआईएस प्रमाणीकरण से छूट मिलेगी, बशर्ते उत्पाद के लिए आईईसी प्रमाणीकरण वैध हो और यह इस शर्त के अधीन है कि इस तरह के उत्पाद केवल दो संख्या प्रतिवर्ष प्रति योजना प्रतिस्थापित करने की अनुमति होगी। यदि प्रतिस्थापन अधिक है, तो विनिर्माता को भारतीय मानक के अनुसार परीक्षण प्रयोगशाला में उत्पाद का परीक्षण करना होगा। इस खंड के तहत छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय में एक विशिष्ट छूट की आवश्यकता होगी।

[फा. सं. 223/140/2017-अनुसंधान और विकास समन्वय]

डॉ. बी. एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

## MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July 2018

**S.O. 3449(E).—**whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" *vide* S.O. 2920(E) dated 5 September 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-5 in the schedule annexed to the same order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 30th May 2018 *vide* S.O. 2183(E).

2. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the order, it is hereby notified that the date of self-certification relaxation notified vide Clause 2 of S.O. No. 2183(E) dated 30.05.2018 stands extended to 4th September, 2018 from 30th June, 2018 mentioned therein.

3. Further, in the case of module manufacturers whose annual module production capacity is less than 50MW are exempted for BIS certification for two years till 4.09.2020 provided they have a valid IEC Certificate (either 2005 or 2016) for the period, or for the period for which IEC certificate is valid, whichever is earlier and further provided the IEC certificate has been obtained before 16.04.2018.

4. Further, for products needed for replacement of the same make in projects set up earlier, as part of commitment/warranty and, in case, such products are not being supplied by the manufacturers for new projects in the country, there will be an exemption from BIS certification, provided there is a valid, IEC certification for the product, and, subject to the condition that only upto two numbers of such product would be allowed to be replaced per project per annum. If the replacement is more, the manufactures will have to get the product tested in test Labs as per Indian Standard. For the purpose of getting exemption under this clause, a specific exemption from this Ministry would be required.

[F. No. 223/140/2017-R&D Coord.]

Dr. B. S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.13 22:24:58 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.